सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 05, सोमवार, *शाके* 1945-जून 26, 2023
Asadha 05, Monday , Saka 1945- June 26, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जून 21, 2023

जी.एस.आर.44 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में, विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अंत स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

‘‘(कक) ‘‘बोर्ड‘‘ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत हैं;‘‘

3. अनुसूची-II का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ अनुसूची-II
अधीनस्थ सेवा

क्र. सं.	पदों के नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक मत्स्य	75%	25%	(क) भारत में विधि	मत्स्य निरीक्षक	(क) स्तम्भ 6	-

	विकास अधिकारी/ प्राध्यापक, मत्स्य प्रशिक्षण स्कूल/मत्स्य अनुसंधान सहायक/मत्स्य विस्तार सहायक			द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एफ.एससी.) या मत्स्य में विशेष प्रश्न पत्र के साथ जन्तु विज्ञान में एम.एससी. या मत्स्य विज्ञान में स्नातक (बी.एफ.एससी.), साथ में केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई से व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा और; (ख) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी.सी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या एन.आई.ई.एल.आई.टी., नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क. ऑ.प्रो.स.)/ डाटा प्रेपरेशन और		में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; और (ख) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी. सी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या एन.आई.ई.एल. आई.टी., नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी	

				कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र; या देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र; या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम		विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र; या देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र; या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन	

				(रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा)। या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।		राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा)। या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।	
2.	मत्स्य निरीक्षक	75%	25%	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी. या एक विषय के रूप में जन्तु विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में बी.एससी., और; (ख) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी.सी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या एन.आई.ई.एल.आई.टी., नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक	मत्स्य फील्डमैन	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव।	-

				(क.ऑ.प्रो.स.)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र; या देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र; या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी			

				में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा)। या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।			
3.	मत्स्य फील्डमैन	50%	50%	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से, एक विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ विज्ञान में सीनियर सैकण्डरी, या समतुल्य अर्हता।	मछियारा (फिशरमैन)	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ विज्ञान में सीनियर सैकण्डरी, या उसके समतुल्य अर्हता। (ख) स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
4.	मछियारा (फिशरमैन)	100%	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या समतुल्य अर्हता।	-	-	-
5.	नाव चालक	100%	-	मुम्बई/चैन्नई/कोल काता/कोच्ची/ विशाखापट्नम के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग से III प्रवर्ग इंजन चालक का प्रमाणपत्र।	-	-	-

"

[सं.एफ.1(2)डीओपी/ए-II/2012]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)
NOTIFICATION
Jaipur, June 21, 2023

G.S.R.44 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.– In rule 2 of the Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012, hereinafter referred to as the said rules, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause (aa) shall be inserted, namely :-
"(aa) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;"

3. Substitution of Schedule-II.- The existing Schedule-II appended to the said rules shall be substituted by the following, namely :-

SCHEDULE–II
SUBORDINATE SERVICE

S. No.	Name of Posts	Source of recruitment with percentage		Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
		Direct	Promotion				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Assistant Fisheries Development Officer/ Lecturer Fisheries Training School/ Fisheries Research Assistant / Fisheries Extension Officer	75%	25%	(A) Master Degree in Fisheries Science (M.F.Sc.) or M.Sc. Zoology with special paper in Fisheries from a University established by law in India or Bachelor of Fisheries Science (B.F.Sc.) with one year diploma in professional development programme from Central Institute of	Fisheries Inspector	(A) 5 year's experience on the post mentioned in col. 6; and (B) "O" or Higher Level Certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. or Certificate Course on Computer concept by NIELIT, New	-

				Fisheries Education, Mumbai, and; (B) "O" or Higher Level Certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. or Certificate Course on Computer concept by NIELIT, New Delhi. or Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organised under National/State Council or Vocational Training Scheme. or Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government. or Senior Secondary Certificate		Delhi. or Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organised under National/State Council or Vocational Training Scheme. or Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government. or Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/Computer Application as one of the subjects or Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by	

				from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/Computer Application as one of the subjects. or Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government. or Rajasthan State certificate course in Information Techonology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation limited. or Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.		the Government. or Rajasthan State certificate course in Information Techonology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation limited. or Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.	
2.	Fisheries Inspector	75%	25%	(A) B.F.Sc. or B.Sc. in Biology with Zoology as one of the subjects from a University established by law in India,	Fish Fieldman	7 year's experience on the post mentioned in col. 6.	

				and; (B) "O" or Higher Level Certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. or Certificate Course on Computer concept by NIELIT, New Delhi. or Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organised under National/State Council or Vocational Training Scheme. or Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government. or Senior Secondary Certificate from a recognized			

				Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/Computer Application as one of the subjects. or Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government. or Rajasthan State certificate course in Information Techonology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation limited. or Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.			
3.	Fish Fieldman	50%	50%	Senior Secondary in Science with Biology as one of the subjects from a recognised Board/Institution or equivalent qualification.	Fisherman	(a) Senior Secondary in Science with Biology as one of the subjects from a recognise	–

						d Board or its equivalent qualification; and (b) 5 years experience on the post mentioned in col.no. 6.	
4.	Fisherman	100%	-	Secondary from a recognised Board or equivalent qualification.	–	–	–
5.	Boat Driver	100%	-	Certificate of IIIrd category Engine Driver from Mercantile Marine Department of Mumbai/Chennai/Kolkata/Kochi/Vishakhapattanam			

[No. F.1(2) DOP/A-II/2012]
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.